HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

(1) S.B. Civil Miscellaneous Appeal No. 2136/2022

URN: CMA / 3586U / 2022

1. Smt. Poonam W/o Late Sh. Praveen, Aged About 56 Years,
2. Ku. Arya Khandelwal D/o Late Sh. Praveen, Aged About 14 Years, (Minor) Through Guardian and Mother Smt. Poonam, appellant No.1,
3. Smt. Radha Devi W/o Sh. Rambabu, Aged About 79 Years,
4. Sh. Rambabu S/o Sh. Gyarsiram, Aged About 84 Years,
   1 & 2 are resident - C - 168, RIICO Housing Colony, Ajmer Road, Beawar, District Ajmer (Raj.) and 3, 4 are Presently Residing At Heel Queen Tower, Flat No. 505, Ullasnagar-4, Thane (Maharashtra)-421004.

----Claimants-Appellants

Versus

1. Mohammad Yaasin S/o Shri Mohammad Jakir, R/o Dudhpura, Ward No. 09, Dudhpura, Samastipur, Bihar-848208. (Driver Of Trailer With Container No. HR-38/T-5038)
2. Sh. Pramit Mehra S/o Sh. Devicharan Mehra, R/o B-63, Ground Floor, Vivek Vihar Phase-1, Delhi-1100095. (Registered Owner Of Trailer Along With Container No. HR-38/T-5038)
3. The Oriental Insurance Company Limited, Branch Office Ajmeri Gate ,Beawar, District Ajmer, Divisional Office Kachari Road, Ajmer (Raj.). (Insurance Company Trailer With Container No. HR-38/T-5038 Insurance Policy No. 271702/31/2019/14830, Dated 30.07.2018 To 29.07.2019)

----Non-Applicant-Respondents

<u>Connected With</u>

(2) S.B. Civil Miscellaneous Appeal No. 2135/2022

URN: CMA / 3585U / 2022

The Oriental Insurance Company Limited, Having Its Regional Office At 9th And 10th Floor, Bima Bhawan, NBCC Centre, Sahkar Marg, Jaipur Through Its Constituted Attorney, And Branch Office Ajmeri Gate Ke Andar Beawar, District Ajmer, Zonal Office Cutcherry Road, Ajmer (Raj.). (Insurer Of Vehicle Trailer Along With Container No. HR-38/T-5038)

----Appellant

Versus

1. Smt. Poonam Khandelwal W/o Late Shri Praveen Khandelwal, Aged About 56 Years,
2. Kumari Arya Khandelwal D/o Late Shri Praveen Khandelwal, Aged About 14 Years,

3. Smt. Radha Devi W/o Shri Rambabu Khandelwal, Aged About 79 Years,
4. Rambabu Khandelwal S/o Shri Gyarsiram Khandelwal, Aged About 81 Years,
Respondent/Claimant no. 2 Kumari Arya Khandelwal minor through natural guardian mother Smt. Poonam Khandelwal, R/o C-168, RIICO Housing Colony, Ajmer Road, Beawar, District Ajmer (Rajasthan),
respondent/Claimant no. 3, 4 Presently Resident Of Heel Queen Tower, Flat No. 505, Ullasnagar-4, Thane (Maharashtra)-421004.

----Respondents/Claimants

5. Mohammad Yasin S/o Shri Mohammad Jakir, R/o Dudhpura, Wad No. 09, Dudhpura, Samastipur, Bihar-848208.
(Vehicle Driver Of Trailer Along With Container No. HR-38/T-5038)
6. Pramit Mehra S/o Shri Devicharan Mehra, R/o B-63, Ground Floor, Vivek Vihar Phase-1, Delhi-1100095. (Registered Owner Of Trailer Along With Container No. HR-38/T-5038)

----Respondents/Opp. Party No. 1 & 2

For Appellant(s) : Mr. Shiv Charan Gupta, Adv. &
Mr. Harsh Saraswat, Adv. with
Ms. Pratibha Singh Ranawat, Adv.

For Respondent(s) : Mr. Ajay Tanwar, Adv. with
Mr. Rahul Singh Meratwal, Adv. (For Respondent No. 6 & 2)
Mr. Vimal Sharma, Adv. with
Ms. Sarita Sharma, Adv. (For Insurance Company)

HON'BLE MR. JUSTICE ASHUTOSH KUMAR

Judgment

10/07/2026

1. दावाकर्तागण/अपीलार्थीगण (जिन्हें आगे 'दावाकर्तागण' के नाम से संबोधित किया जाएगा) की ओर से प्रस्तुत **सिविल विविध अपील संख्या–2136/2022**, एवं अपीलांट/नॉन क्लेमेंट बीमा कम्पनी (जिसे आगे 'अपीलांट बीमा कम्पनी' के नाम से संबोधित किया जाएगा) की ओर से प्रस्तुत **सिविल विविध अपील संख्या–2135/2022**, उक्त दोनों दीवानी विविध

अपीलें धारा–173 मोटर वाहन अधिनियम–1988 के तहत **मोटर यान दुर्घटना दावा अधिकरण संख्या–02, (अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश), ब्यावर, जिला अजमेर** (जिसे आगे 'विद्वान अधिकरण' के नाम से संबोधित किया जाएगा) द्वारा **क्लेम याचिका संख्या–168/2019, श्रीमती पूनम व अन्य बनाम मोहम्मद यासिन व अन्य** में पारित **निर्णय दिनांक 27.04.2022** के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। जिनका निस्तारण सुविधा की दृष्टि से इस एक निर्णय के द्वारा किया जा रहा है।

2. दावाकर्तागण द्वारा विद्वान अधिकरण के समक्ष मोटर वाहन दुर्घटना में **प्रवीण खण्डेलवाल** की मृत्यु हो जाने के फलस्वरूप **कुल 3,42,50,000/– रुपये** क्लेम प्राप्त करने हेतु क्लेम याचिका प्रस्तुत की गयी थी। विद्वान अधिकरण द्वारा उक्त क्लेम याचिका का निस्तारण करते हुए याचीगण को **कुल 91,68,820/– रुपये** की क्षतिपूर्ति राशि मय ब्याज **06 प्रतिशत** सालाना की दर से दिलवाई गयी है। विद्वान अधिकरण के उक्त निर्णय से व्यथित होकर दावाकर्तागण की ओर से प्रस्तुत **सिविल विविध अपील संख्या–2136/2022,** विद्वान अधिकरण द्वारा दिलवाई गई क्षतिपूर्ति राशि में बढ़ोतरी किये जाने हेतु तथा अपीलांट बीमा कम्पनी की ओर से प्रस्तुत **सिविल विविध अपील संख्या–2135/2022,** विद्वान अधिकरण द्वारा पारित उक्त निर्णय को अपास्त करवाये जाने हेतु प्रस्तुत की गयी है।

3. **सिविल विविध अपील संख्या–2136/2022** के संबंध में दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता दावाकर्तागण का तर्क रहा है कि विद्वान अधिकरण द्वारा दावाकर्तागण को आश्रित आय की क्षति के मद में अत्यधिक कम राशि दिलवाई गयी है तथा कंसोर्टियम की मद में व अन्य मदों में भी अत्यधिक कम राशि दिलवाई गयी है, जिनमें बढ़ोतरी की जावे। अतः उपरोक्त आधारों पर दावाकर्तागण की ओर से प्रस्तुत **सिविल विविध अपील संख्या–2136/2022** स्वीकार की जाकर क्षतिपूर्ति राशि में बढ़ोतरी किये जाने की प्रार्थना की गयी।

4. इसके विपरीत **सिविल विविध अपील संख्या–2135/2022** के संबंध में दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अपीलांट बीमा कम्पनी का तर्क रहा है कि विद्वान अधिकरण द्वारा अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत मृतक की आयकर

विवरणिका प्रदर्श– 30, 31, 33 व 34 में से प्रदर्श–33 में अंकित वार्षिक आय 11,69,333/– रुपये को आधार मानते हुए मृतक की वार्षिक आय निर्धारित कर त्रुटि कारित की गई है, जबकि मृतक द्वारा संचालित की जा रही फर्म से वर्तमान में भी अपीलार्थीगण को आय प्राप्त हो रही है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थीगण को आय की कोई हानि होना प्रमाणित नहीं माना जा सकता है। उनका यह भी तर्क रहा है कि हस्तगत दुर्घटना कार चालक मृतक प्रवीण खण्डेलवाल के द्वारा स्वयं की कार को लापरवाही व उपेक्षा से चलाये जाने के कारण घटित हुई है। अतः विद्वान अधिकरण द्वारा योगदायी उपेक्षा के सिद्धांत के तहत हस्तगत दुर्घटना में मृतक की भी योगदायी उपेक्षा मानी जाकर क्षतिपूर्ति राशि का निर्धारण किया जाना चाहिए था, किन्तु विद्वान अधिकरण द्वारा सम्पूर्ण क्षतिपूर्ति राशि का दायित्व अप्रार्थीगण पर डाला जाकर त्रुटि कारित की है। अतः उपरोक्त तर्कों के आधार पर अपीलांट बीमा कम्पनी की ओर से प्रस्तुत **सिविल विविध अपील संख्या–2135/2022** स्वीकार की जाकर विद्वान अधिकरण के उक्त निर्णय को अपास्त किये जाने की प्रार्थना की गयी।

5. दोनों पक्षों की बहस सुनी गयी। पत्रावलियों व विद्वान अधिकरण के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

6. हस्तगत अपीलों का निस्तारण निम्नानुसार किया जा रहा है :–

<u>सिविल विविध अपील संख्या–2136/2022 :–</u>

तथा

<u>सिविल विविध अपील संख्या–2135/2022 :–</u>

7. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट बीमा कम्पनी द्वारा मुख्यतः यह तर्क लिया गया है कि विद्वान अधिकरण द्वारा अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत की गई मृतक की आयकर विवरणिका प्रदर्श–30, 31, 33 व 34 में से आयकर विवरणिका प्रदर्श–33 पर विश्वास करते हुए उसमें अंकित वार्षिक आय 11,69,333/– रुपये को आधार मानते हुए मृतक की वार्षिक आय निर्धारित कर त्रुटि कारित की गई है, जबकि मृतक द्वारा संचालित की जा रही फर्म से वर्तमान में भी अपीलार्थीगण को आय प्राप्त हो रही है। ऐसी स्थिति में

अपीलार्थीगण को आय की कोई हानि होना प्रमाणित नहीं माना जा सकता है। इस संबंध में पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि मामले की घटना दिनांक 06.04.2019 की बताई गयी है तथा वक्त घटना मृतक स्वयं का व्यवसाय कर 13,50,000/— रुपये वार्षिक आय अर्जित करना बताया गया है, जिसके संबंध में दावाकर्तागण द्वारा विद्वान अधिकरण के समक्ष मृतक के कर निर्धारण वर्ष 2016—2017 की आयकर विवरणिका प्रदर्श—30, कर निर्धारण वर्ष 2017—2018 की आयकर विवरणिका प्रदर्श—31, कर निर्धारण वर्ष 2018—2019 की आयकर विवरणिका प्रदर्श—33 तथा कर निर्धारण वर्ष 2019—2020 की आयकर विवरणिका प्रदर्श—34 पेश की गयी। विद्वान अधिकरण द्वारा मृतक की मृत्यु पूर्व दाखिल की गयी अंतिम आयकर विवरणिका प्रदर्श—33 पर विश्वास करते हुए मृतक की वार्षिक आय 11,69,333/— रुपये निर्धारित की गयी है। जबकि विद्वान अधिकरण को मृतक की आय के संबंध में प्रस्तुत की गई आयकर विवरणिकाओं में से अंतिम तीन आयकर विवरणिकाओं में दर्शाई गई आय का औसत निकालते हुए मृतक की वार्षिक आय निर्धारित की जानी चाहिए थी। इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित न्यायिक दृष्टांत **Rashmirekha Tripathy & Anr. Vs. The Branch Manager (Legal Claims), Sriram General Insurance Company Limited & Ors.** reported in **C.A. @ SLP (C) No. 27220 of 2024** में यह मत व्यक्त किया गया है कि :—

> 19. When it comes to self employed/individuals carrying out their own business, in our view, the average of the income specified in the ITRs of up to the previous three years is to be taken as a reference point for assessment of annual income from their business. There may also be a scenario where only one or two ITRs have been filed. Given such scenarios and the fluctuation of income in these professions, surrounding circumstances are also to be taken into consideration. These would include:
> a) The nature of the business (including geographic location, category etc.);
> b) Growth pattern of the business and impact of death on the business;

> c) Potential growth of business (for instance certain businesses are capital intensive at the outset and are profitable at scale/in the future);
> d) Negative income (certain businesses may require losses in the initial years, which may not reflect the true financial standing); and
> e) Any other relevant factor relating to the business.
> 20. The date when the ITRs are filed would also become a relevant consideration, as there may be scenarios where inflated income is showcased after death/injury. In these circumstances, the surrounding factors of the business would become more relevant. However, if sufficiently supported by financial statements, such ITRs may also be taken into consideration.

8. ऐसी स्थिति में हम, **Rashmirekha (supra)** के मामले में पारित मत से सहमत होते हुए तथा अपीलांट बीमा कम्पनी के उपरोक्त तर्क से सहमत होते हुए, इस मामले में भी अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत अंतिम तीन आयकर विवरणिकाओं में दर्शाई गई वार्षिक आय को दृष्टिगत रखते हुए मृतक की औसत वार्षिक आय निर्धारित किया जाना उचित समझते हैं। अतः मृतक की अंतिम तीन आयकर विवरणिका, जिनमें प्रदर्श–31 (कर निर्धारण वर्ष 2017–18) में उसकी कुल आय 10,09,090/– रुपये, प्रदर्श–33 (कर निर्धारण वर्ष 2018–19) में उसकी कुल आय 11,69,333/– रुपये, प्रदर्श–34 (कर निर्धारण वर्ष 2019–20) में उसकी कुल आय 12,58,511/– रुपये होना बताया गया है। ऐसी स्थिति में हम, उक्त तीनों आयकर विवरणिकाओं में दर्शित आय को जोड़कर मृतक की **औसत वार्षिक आय 11,45,645/– रुपये** निर्धारित किया जाना उचित समझते हैं।

9. जहां तक आयकर कटौती का प्रश्न है तो इस संबंध में आयकर विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार वित्तीय वर्ष 2018–2019 में 2,50,000/– रुपये तक की आय पर आयकर शून्य व 2,50,001/– रुपये से 5,00,000/– रुपये तक की आय पर 5 प्रतिशत आयकर तथा 5,00,001/– रुपये से 10,00,000/– रुपये तक की आय पर 20 प्रतिशत आयकर तथा 10,00,001/– रुपये से अधिक की आय पर 30 प्रतिशत आयकर देय था।

मृतक की निर्धारित वार्षिक आय 11,45,645/— रुपये में से 2,50,000/— रुपये घटाने के उपरांत शेष राशि 8,95,645/— रुपये रहती है, जिसमें 2,50,001/— रुपये तक की आय का **5 प्रतिशत आयकर 12,500/— रुपये,** 5,00,001/— रुपये से 10,00,000/— रुपये तक की आय पर **20 प्रतिशत आयकर 1,00,000/— रुपये** तथा 10,00,001/— रुपये से ऊपर की शेष आय 1,45,645/— रुपये की राशि का **30 प्रतिशत आयकर 43,693/— रुपये** होता है, इस प्रकार कुल आयकर राशि 1,56,193/— रुपये होती है, जिसे मृतक की निर्धारित वार्षिक आय 11,45,645/— रुपये में से घटाने के उपरांत मृतक की **कुल वार्षिक आय 9,89,452/— रुपये** होती है।

10. विद्वान अधिकरण द्वारा वक्त घटना मृतक को 54 वर्ष 09 माह की आय का स्वनियोजित व्यवसायी होना माना गया है। ऐसी स्थिति में **नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड बनाम प्रणय सेठी व अन्य** रिपोर्टेड इन **(2017) 16 एस.सी.सी. 680** के मामले में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार मृतक की आयु को दृष्टिगत रखते हुए मृतक की निर्धारित वार्षिक आय पर भविष्य की प्रत्याशा की मद में 10 प्रतिशत की भविष्य वृद्धि किया जाना अपेक्षित है। तद्नुसार मृतक की निर्धारित वार्षिक आय 9,89,452/— रुपये का 10 प्रतिशत 98,945/— रुपये होता है। उक्त 10 प्रतिशत राशि को मृतक की निर्धारित वार्षिक आय में जोड़े जाने के उपरांत मृतक की **कुल वार्षिक आय 10,88,397/— रुपये** होती है, जो क्षतिपूर्ति के निर्धारण का आधार रहेगी।

11. वक्त घटना मृतक पर कुल 4 आश्रित बताए गये हैं। ऐसी स्थिति में मृतक के व्यक्तिगत खर्च की कटौती की मद में 1/4 भाग की कटौती किया जाना अपेक्षित है। तद्नुसार मृतक की निर्धारित वार्षिक आय 10,88,397/— रुपये का 1/4 भाग 2,72,099/— रुपये होता है, जिसे निर्धारित वार्षिक आय में से घटाने के उपरांत आश्रित आय की **शेष राशि 8,16,298/— रुपये** होती है। वक्त घटना मृतक की आयु 51 से 55 वर्ष के मध्य होना जाहिर है, जिसका खण्डन नहीं हो सका है। ऐसी स्थिति में **सरला वर्मा व अन्य बनाम देहली ट्रासंपोर्ट कॉर्पोरेशन व अन्य** रिपोर्टेड इन **(2009) 6 एस.सी.सी. 121** तथा **प्रणय सेठी (उपरोक्त)** के मामले में प्रतिपादित सिद्धान्त के आधार पर मृतक

RAJASTHAN HIGH COURT

की आयु को दृष्टिगत रखते हुए **11 का गुणक** लगाया जाना अपेक्षित है। तद्नुसार मृतक की निर्धारित वार्षिक आय 8,16,298/– रुपये के आधार पर दावाकर्तागण को होने वाली आश्रित आय की **कुल क्षति 8,16,298 x 11 = 89,79,278/– रुपये** होती है, जो दावाकर्तागण प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

12. विद्वान अधिकरण द्वारा कंसोर्टियम की मद में अपीलार्थीगण को कुल 40,000/– रुपये की राशि दिलवाई गयी है। माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत **प्रणय सेठी (उपरोक्त)** व **यूनाईटेड इण्डिया इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड बनाम सतिन्दर कौर उर्फ सतविन्दर कौर व अन्य** रिपोर्टेड इन **(2021) 11 एससीसी 780** व अन्य न्यायिक दृष्टांत **मेगमा जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड बनाम नानू राम उर्फ चुहरू राम व अन्य** रिपोर्टेड इन **(2018) 18 एससीसी 130** के मामलों में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार प्रत्येक आश्रित को 40,000/– रुपये कंसोर्टियम की मद में दिलवाये जाने का सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है।

13. ऐसी स्थिति में यह न्यायालय, माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत **प्रणय सेठी (उपरोक्त), सतिन्दर कौर उर्फ सतविन्दर कौर (उपरोक्त)** व **नानू राम उर्फ चुहरू राम (उपरोक्त)** के मामलों में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार मृतक की पत्नी अपीलार्थी संख्या–1 को ''स्पाउस कंसोर्टियम'' की मद में 40,000/– रुपये, मृतक के पुत्र अपीलार्थी संख्या–2 को ''पैरेण्टल कंसोर्टियम'' की मद में 40,000/– रुपये व मृतक के माता–पिता अपीलार्थी संख्या–3 व 4 को ''फिलीयल कंसोर्टियम'' की मद में प्रत्येक को 40,000/– रुपये **(कुल 1,60,000/– रुपये)** की राशि दिलवाया जाना उचित समझते हैं।

14. विद्वान अधिकरण द्वारा अपीलार्थीगण को अंतिम संस्कार की मद में 15,000/– रुपये तथा सम्पदा की हानि के मद में 15,000/– रुपये की राशि दिलवाई गयी है, जो **प्रणय सेठी (उपरोक्त)** के मामले में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार उचित प्रतीत होती है।

15. अपीलांट बीमा कंपनी की ओर से प्रस्तुत उक्त अपील में यह भी आक्षेप लिया गया है कि हस्तगत प्रकरण में दुर्घटना मृतक की लापरवाही व उपेक्षा से वाहन चलाये जाने के कारण घटित हुई है। अतः योगदायी उपेक्षा के सिद्धांत

के तहत मृतक की भी योगदायी उपेक्षा मानते हुए क्षतिपूर्ति राशि निर्धारित की जावे। उक्त आक्षेप के संबंध में सर्वप्रथम मृतक के भाई मनोज द्वारा हस्तगत मामले में दर्ज कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श–1 का अवलोकन किया गया। उक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार मृतक प्रवीण खण्डेलवाल दिनांक 06.04.2019 को स्वयं की कार नंबर आरजे–36–सीसी–0456 को सामान्य गति से चलाकर जयपुर से ब्यावर आ रहा था, वो जैसे ही अजमेर रोड पुलिया ब्यावर के पास पहुंचा तो सामने से एक ट्रेलर मय कन्टेनर संख्या एच. आर–38–टी–5038 का चालक तेजगति व लापरवाही से ट्रेलर को चलाकर लाया और तेजगति में होने के कारण व मोड़ होने से ट्रेलर पलट गया, जिससे ट्रेलर पर रखा कन्टेनर कार पर गिर गया, जिससे प्रवीण की मौके पर ही मृत्यु हो गई। उक्त आक्षेप के संबंध में दावाकर्तागण की ओर से विद्वान अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करवाये गये गवाहों का अवलोकन किया गया, जिनमें घटना का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी ए.ड.2 कुलदीप ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि दिनांक 06.04.2019 को वह अपनी जमींदारा ट्रांसपोर्ट कम्पनी अजमेर रोड, कमल पट्रोल पम्प के पास ऑफिस के बाहर बैठा था। अजमेर की तरफ से एक ट्रेलर संख्या एच.आर–38–टी–5038 के चालक ने तेजगति एवं लापरवाही से चलाकर एक क्रेटा कार संख्या आर.जे.–36–सीसी–0456 के टक्कर मार दी, जिससे ट्रेलर के अन्दर रखा हुआ कन्टेनर उक्त कार के उपर गिर गया, जिससे कार सवार की मौके पर ही मृत्यु हो गई। दुर्घटना ट्रेलर चालक की गलती से हुई थी। उक्त गवाह ने अपनी जिरह में यह कथन किया है कि यह कहना गलत है कि वह वक्त दुर्घटना मौके पर मौजूद नहीं हो। यह सही है कि ट्रेलर और कार दोनों बराबर में चल रहे थे। यह कहना गलत है कि ट्रेलर की कार से कोई टक्कर नहीं हुई हो। ट्रेलर को तीव्र गति से मोडा, जिससे ट्रेलर पर रखा कन्टेनर क्रेटा कार के उपर गिर गया।

16. हस्तगत मामले की दुर्घटना के संबंध में पत्रावली पर प्रस्तुत मैकेनिक मुआयना ट्रेलर संख्या एच.आर.–38–टी–5038 प्रदर्श–8 की रिपोर्ट के अवलोकन से ट्रेलर के आगे लैफ्ट साइड में बम्पर पर मोंच के निशान होना जाहिर है तथा प्रदर्श–3 नक्शेमौके के अनुसार भी आरोपित वाहन ट्रेलर चालक

की उपेक्षा एवं लापरवाही प्रकट होती है, जिसके विरूद्ध बाद अनुसंधान आरोप पत्र प्रदर्श–2 भी प्रस्तुत किया गया है। मामले में अनुसंधान के उपरान्त प्रश्नगत वाहन चालक के खिलाफ आरोप पत्र भी पेश हुआ है।

17. अतः हस्तगत मामले में दावाकर्तागण की ओर से प्रस्तुत मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य से ट्रेलर संख्या एच.आर.–38–टी–5038 के चालक द्वारा ट्रेलर को तेजगति, गफलत व लापरवाही से चलाकर कार नंबर आरजे–36–सीसी–0456 को पीछे से टक्कर मारना तथा उक्त दुर्घटना के फलस्वरूप प्रवीण खण्डेलवाल की मौके पर ही मृत्यु होना जाहिर है। इसके अतिरिक्त अपीलांट बीमा कंपनी द्वारा अपने तर्कों में उठाये गये आक्षेप को अपने पक्ष में साबित किए जाने हेतु कोई दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य भी पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं की गई है। अतः उपरोक्त समग्र विवेचनानुसार अपीलांट बीमा कंपनी की ओर से योगदायी उपेक्षा के संबंध में उठाया गया उक्त आक्षेप माने जाने योग्य नहीं है।

18. उपरोक्त समस्त विवेचन अनुसार दावाकर्तागण द्वारा क्षतिपूर्ति राशि में बढ़ोतरी किये जाने हेतु प्रस्तुत **सिविल विविध अपील संख्या–2136/2022** आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अपीलांट बीमा कम्पनी द्वारा प्रस्तुत **सिविल विविध अपील संख्या–2135/2022** अस्वीकार कर खारिज की जाकर दावाकर्तागण को निम्नप्रकार क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने का अधिकारी पाया जाता है :–

क्रम सं.	शीर्ष/मद	इस निर्णय के तहत निर्धारित की गयी राशि (रूपये में)
1.	आश्रित आय की क्षति के मद में	89,79,278/–
2.	कंसोर्टियम के मद में	कुल 1,60,000/–
3.	अंतिम संस्कार के मद में	15,000/–
4.	सम्पदा की हानि के मद मे	15,000/–
इस न्यायालय द्वारा निर्धारित की गई कुल क्षतिपूर्ति राशि		**91,69,278/–**
विद्वान अधिकरण द्वारा दिलवाई गई क्षतिपूर्ति राशि (–)		91,68,820/–
इस न्यायालय द्वारा निर्धारित क्षतिपूर्ति राशि में अंतर		**458/–**

19. तदनुसार दावाकर्तागण द्वारा क्षतिपूर्ति राशि में बढ़ोतरी किये जाने बाबत् प्रस्तुत **सिविल विविध अपील संख्या–2136/2022** आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अपीलांट बीमा कम्पनी द्वारा प्रस्तुत **सिविल विविध अपील**

संख्या–2135/2022 अस्वीकार कर खारिज किया जाकर अधिकरण द्वारा पारित पंचाट, जिसके द्वारा दावाकर्तागण को **91,68,820/– रूपये** दिलवाये जाने का आदेश पारित किया गया है, के स्थान पर **91,69,278/– रूपये** का पंचाट पारित किया जाता है। दावाकर्तागण द्वारा पूर्व में प्राप्त की गयी राशि को पंचाट राशि में से समायोजित किया जाकर शेष राशि दावाकर्तागण प्राप्त करने के अधिकारी पाये जाते हैं।

20. इस न्यायालय के स्थगन आदेश दिनांकित 31.08.2022 के अनुसार अपीलांट बीमा कंपनी को आदेश दिया गया था कि वह विद्वान अधिकरण द्वारा आदेशित सम्पूर्ण राशि विद्वान अधिकरण के समक्ष जमा करवाकर, जमा करवाई गई सम्पूर्ण राशि में से 50 प्रतिशत राशि का वितरण प्रत्यर्थी–क्लेमेंट्स को किया जाए तथा 50 प्रतिशत राशि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में एफ.डी.आर. के रूप में जमा रखी जावे। चूंकि इस न्यायालय द्वारा बीमा कम्पनी की अपील को अस्वीकार कर खारिज किया गया है तथा दावाकर्तागण की अपील को स्वीकार किया जाकर दावाकर्तागण को 91,69,278/– रुपये प्रतिकर प्राप्त करने का अधिकारी पाया गया है। ऐसी स्थिति में विद्वान अधिकरण के समक्ष जो 50 प्रतिशत क्षतिपूर्ति राशि एफ.डी.आर. के रूप में जमा है, उसका भुगतान इस न्यायालय द्वारा निर्धारित की गई राशि को दृष्टिगत रखते हुए दावाकर्तागण को कर दिया जावे। दावाकर्तागण द्वारा पूर्व में प्राप्त की गयी राशि को पंचाट राशि में से समायोजित किया जाकर शेष राशि दावाकर्तागण प्राप्त करने के अधिकारी पाये जाते हैं।

21. इस निर्णय द्वारा बढाई गई क्षतिपूर्ति राशि पर याचिका दायर करने की तिथि से दावाकर्तागण, 8 प्रतिशत वार्षिक ब्याज प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

22. तद्नुसार उपरोक्त अपीलें निस्तारित की जाती हैं।

23. निर्णय की प्रति के साथ प्रकरण का अभिलेख संबंधित विद्वान अधिकरण को लौटाया जावे।

24. सभी लम्बित प्रार्थना–पत्रों को भी उपरोक्तानुसार निस्तारित किया जाता है।

(ASHUTOSH KUMAR),J

30-31/KESHAV VERMA